(37)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

म0प्र0

निगरानी 2275-III-15

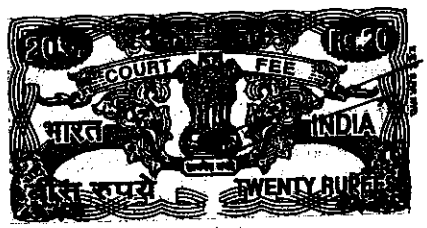

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रु. 20/-

260 / 15.7.15

1- उत्तम साकेत पिता स्व0 श्री मंगलिया साकेत

2- हीराबाई बेबा स्व0 श्री मंगलिया साकेत

3- रामेश्वर पिता स्व0 श्री मंगलिया साकेत

4- शांति पिता स्व0 श्री मंगलिया साकेत

5- राधा पिता स्व0 श्री मंगलिया साकेत

6- शकुन्तला पिता स्व0 श्री मंगलिया साकेत

सभी निवासी ग्राम धतूरा, तहसील-मैहर, जिला-सतना म0प्र0

-------**आवेदकगण**

बनाम्

शासन म0प्र0

-------- **अनावेदकगण**

श्री.. आनन्द सोनी ... द्वारा आज दिनांक 15-7-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मैहर जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 26/अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 03-07-15 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि भूमि खसरा कमांक-12/1ख रकवा 1.492हे0 स्थित ग्राम धतूरा, तहसील-मैहर, जिला-सतना के मालिक भूमिस्वामी स्वत्वधारी आवेदकगण है, जिन्होनें उक्त भूमि के सीमांकन हेतु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2275–दो/15 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–4–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 26/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 03–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 25–6–15 को सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर आवेदक उत्तम सहित सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। स्थल पंचनामा पर आवेदक उत्तमसिंह के हस्ताक्षर अंकित है। सीमांकन के समय एवं सीमांकन आदेश की पुष्टि के समय किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 3–7–15 को सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्वयं की भूमि का भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	